कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
२६|२|२० पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वादग्रस्त भूमि की मूलवाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभय पक्ष ने सहमति जाहिर की है। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। M. L. Sharma उपखण्ड अधिकारी नदबई	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested